**आयुक्त की नियुक्ति का प्ररूप विभाजन करने के लिए आयुक्त**

**(आदेश 26, नियम 13)**

**(टाइटल)**

सेवा में,

यतः यह इस वाद के प्रयोजनार्थ अपेक्षित समझा जाता है कि एक आयोग को दिनांकित..........................इस न्यायालय की डिक्री में यथाघोषित किये गये अधिकारी के अनुसार और उसमें विनिर्दिष्ट सम्पत्ति का विभाजन या पृथक्करण करने के लिए जारी किया जाना चाहिए। आपको एतद्द्वारा कथित प्रयोजन के लिए आयुक्त नियुक्त किया जाता है और ऐसी जांच करने के लिए निर्देशित किया जाता है जो कथित डिक्री में उपवर्णित शेयरों में आपकी सर्वोत्तम कुशलता एवम् निर्णय के अनुसार कथित सम्पत्ति का विभाजन करने तथा अनेक पक्षकारों को ऐसे हिस्सों को आबंटित करने के लिए आवश्यक हो। आपको शेयरों के मूल्य बराबर करने के प्रयोजनार्थ किसी भी दूसरे पक्षकार द्वारा किसी पक्षकार को संदाय किये जाने हेतु रकमों का अधिनिर्णय करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत कर दिया जाता है किसी साक्षी को आपके समक्ष हाजिर करवाने के लिए या किन्हीं भी दस्तावेज को पेश किया जाने के लिए जिसको या जिसकी आप परीक्षित करना या निरीक्षण करने की इच्छा करे, आपके आवेदन पत्र पर अधिकारिता रखने वाली किसी भी न्यायालय द्वारा जारी की जायेगी।

ऊपर में आपकी फीस होने वाली................रुपये की एक रकम इसके साथ भेजी जाती है।

मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के अधीन, दिनांकित..........को दिया गया।